

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश, भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल (2,40,928 वर्ग कि०मी०) की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 75 जिलों में विभाजित है। राज्य का जनसंख्या घनत्व¹ अखिल भारतीय औसत 422 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० के सापेक्ष 978 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है। वर्ष 2022-23 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, देश की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य से सम्बन्धित सामान्य आँकड़े परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह उस समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 सीरीज)²
(₹ करोड़ में)

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
भारत					
जीडीपी (2011-12 श्रेणी)	18899668	20103593	19829927	23471012	27240712
जीवीए	17175128	18381117	18188780	21438883	24742871
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.59	6.37	(-)1.36	18.36	16.06
विगत वर्ष के सापेक्ष जीवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.77	7.02	(-)1.05	17.87	15.41
प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ में)	142424	149915	146301	171498	196983
उत्तर प्रदेश राज्य					
जीएसडीपी	1582180	1700062	1645317	1974532	2257575
जीएसवीए	1442854	1555213	1513794	1807296	2066139
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.88	7.45	(-)3.22	20.01	14.33

¹ राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत भारत एवं राज्यों के लिये जनसंख्या अनुमान 2011-2036।

² वर्ष 2019-20 से 2021-22 के लिये वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी तथा जीएसडीपी के आँकड़ों को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है, इसलिये वर्ष 2019-20 से 2021-22 के प्रतिशत अनुपात/ जीडीपी/जीएसडीपी के विभिन्न मानदण्डों के सापेक्ष उछाल जो राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा के विगत प्रतिवेदनों में वर्णित था, को भी संशोधित किया गया है।

वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसवीए की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.00	7.79	(-)-2.66	19.39	14.32
प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ में)	70565	74679	71184	84139	96193


स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि तालिका 1.1 में वर्णित है, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में 14.33 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ ₹ 22,57,575 करोड़ थी। जीएसडीपी में कोविड-19 महामारी से प्रभावित वर्ष 2020-21 में तुलनात्मक रूप से 3.22 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर देखी गयी। यद्यपि, राज्य की जीएसडीपी विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में 20.01 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष 2022-23 की अवधि में जीएसडीपी वृद्धि दर (14.33 प्रतिशत) जीडीपी वृद्धि दर (16.06 प्रतिशत) से कम थी। अग्रेतर, राज्य की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी (₹ 96,193) प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹ 1,96,983) से कम थी।

सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का उपयोग भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। जीवीए को जीडीपी की तुलना में आर्थिक विकास का बेहतर संकेतक माना जाता है, क्योंकि यह करों और सब्सिडी के प्रभाव को छोड़ देता है। जबकि जीडीपी की गणना निजी उपभोग व्यय, शासकीय उपभोग व्यय और सकल स्थिर पूँजी निर्माण या निवेश व्यय सहित अर्थव्यवस्था में किए गए विभिन्न व्यय के योग के रूप में की जा सकती है तथा की जाती है, जो अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्था में माँग की स्थिति को दर्शाती है। दोनों उपायों में शुद्ध करों के उपचार में अन्तर है जिसके परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में करों का समावेश वास्तविक उत्पादन स्थिति से भिन्न हो सकता है। नीति निर्माता के दृष्टिकोण से बेहतर विश्लेषण और नीतिगत हस्तक्षेप के लिए जीवीए और जीएसवीए आँकड़ों की तुलना करना महत्वपूर्ण है।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में जीएसडीपी और जीएसवीए की प्रवृत्ति को नीचे दिए गए चार्ट 1.1 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.1: जीएसडीपी के सापेक्ष जीएसवीए की वृद्धि दर (2018-19 से 2022-23)



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में होने वाला परिवर्तन, अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधियों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते हैं। वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान की तुलनात्मक स्थिति और इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय विकास दर को क्रमशः चार्ट 1.2 और चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.2: वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में जीएसवीए में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

नोट: कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन और जलीय कृषि सम्मिलित हैं। उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में खनन और उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं और निर्माण तथा सेवा (तृतीयक) क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से सम्बन्धित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, सम्पत्ति, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएँ सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.3: 2018-23 की अवधि के दौरान जीएसवीए की क्षेत्रीय विकास दर



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चार्ट 1.2 से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2022-23 की अवधि में राज्य के जीएसवीए में सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान था, जिसके बाद उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र का स्थान था। चार्ट 1.3 दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में तीनों क्षेत्रों कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र के क्षेत्रीय योगदान वृद्धि में कमी आयी।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत कराते हैं। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारम्भिक और सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखों की स्वतन्त्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है तथा उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के लिये मुख्य आँकड़े राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे के साथ-साथ राज्य के बजट अभिलेख से प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आँकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस), तथा
- जीएसडीपी आँकड़े और राज्य से सम्बन्धित अन्य सांख्यिकी।

वित्त आयोगों की संस्तुतियों, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम-2004, बजट अनुमानों के साथ-साथ मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी), भारत सरकार की उत्कृष्ट प्रथाओं और दिशानिर्देशों के सन्दर्भ से भी विश्लेषण किया गया। एसएफएआर का मसौदा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (नवम्बर 2023 एवं जनवरी 2024)। राज्य सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है।

1.3 शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बाण्ड, केन्द्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों के लिये भारत के संविधान में दी गयी प्रक्रिया के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता

है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि [भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2)]

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमण्डल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमण्डल द्वारा व्यय का प्राधिकार लम्बित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित करके की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा [भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2)]

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अन्तिम लेखांकन लम्बित है) सम्मिलित हैं। संवितरण उपरान्त शेष निधि सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध है। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

बजट अभिलेख

यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमण्डल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाए। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर—राजस्व (स्वयं का कर—राजस्व, केन्द्रीय करों/शुल्कों का अंश), करेतर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय सम्पत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान सम्पत्तियों के सृजन के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से सम्बन्धित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बाण्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम, केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आदि।


पूँजीगत व्यय को मुख्य तौर पर एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की ठोस सम्पत्तियों में वृद्धि के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, पीएसई में निवेश पर व्यय सम्मिलित है।

वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियन्त्रक (सीजीए) द्वारा जारी संघ और राज्यों के खातों के प्रमुख और लघु शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/ विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक मद-वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान में सहायता मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण, इन भुगतानों को राजस्व, पूँजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण, 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक आधार द्वारा प्राप्त होता है। मानक मद बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.4 : शासकीय लेखे की संरचना



लोक ऋण एवं लोक दायित्व: इस प्रतिवेदन में 'लोक ऋण' को बाजार उधार, संस्थागत ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) को जारी विशेष प्रतिभूतियों, केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये ऋण आदि को सम्मिलित करने के लिये लिया गया है। इस उद्देश्य हेतु मुख्य शीर्ष 6003 एवं 6004—लोक ऋण को ध्यान में रखा गया है।

अग्रेतर, लोक लेखे के अन्तर्गत 'लघु बचत', 'भविष्य निधि' आदि, 'आरक्षित निधि' और 'जमा और अग्रिम' से सम्बन्धित लेन देन ऐसे होते हैं जिसमें सरकार प्राप्त धन के पुनर्भुगतान के लिये उत्तरदायी होती है तथा भुगतान धनराशि को वसूल करने का दावा रखती है। लोक लेखे के अन्तर्गत 'प्रेषण' और 'उचन्त' से सम्बन्धित लेन देन में कोषागारों और मुद्रा चेस्ट के मध्य नकदी के प्रेषण और विभिन्न लेखांकन सर्किलों के मध्य हस्तांतरण व समायोजन जैसे लेनदेन प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में, 'लोक दायित्व' के अन्तर्गत 'लघु बचत, भविष्य निधि आदि', 'आरक्षित निधि' और 'जमा एवं अग्रिम' से सम्बन्धित लेनदेन के साथ-साथ मुख्य शीर्ष 6003 और 6004 के अन्तर्गत लेनदेन को भी सम्मिलित किया गया है।

वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है, जिसको कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों के साथ साथ, राजस्व और पूँजीगत लेखों द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखों में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता तथा परिसम्पत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों सहित) लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आँकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय से घटा कर लेखांकन के पश्चात् दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारत विनियोगों की राशियों के सापेक्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं तथा वित्त प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं, अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण रखना होता है, जिसे **वार्षिक वित्तीय विवरण** कहा जाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार राज्य विधानमण्डल के समक्ष अनुदानों/विनियोजनों की माँगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात्, अनुच्छेद 204 के अन्तर्गत विनियोग विधेयक विधानमण्डल द्वारा पारित किया जाता है ताकि आवश्यक धनराशि का संचित निधि से विनियोग किया जा सके।

उत्तर प्रदेश का बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और अपनी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय प्रयासों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिया गया है।

1.4 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 में वर्ष 2021-22 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण दिया गया है।

तालिका 1.2: 2021-22 के वास्तविक आँकड़ों के सापेक्ष 2022-23 के बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2021-22 (वास्तविक)	2022-23 (बजट अनुमान)	2022-23 (वास्तविक)	2022-23 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2022-23 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	कर राजस्व, जिसमें	307725.79	367153.76	343832.45	93.65	15.23
(i)	स्वकर राजस्व	147367.74	220655.00	174087.15	78.90	7.71
(ii)	केन्द्रीय करों/शुल्कों का अंश	160358.05	146498.76	169745.30	115.87	7.52
2.	करेतर राजस्व	11435.97	23406.48	13489.46	57.63	0.60
3.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	51849.68	108652.47	59919.59	55.15	2.65
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	371011.44	499212.71	417241.50	83.58	18.48
5.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्ति)	939.43	2565.00	1337.32	52.14	0.06
6.	विविध ऋण प्राप्तियाँ	0	0	0	-	0
7.	उधार एवं अन्य दायित्व*	39286.42	81177.98	64636.26	79.62	2.86
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	40575.69	83742.98	65973.58	78.78	2.92
9.	कुल प्राप्तियाँ (4+8)	411587.13	582955.69	483215.08	82.89	21.40
10.	राजस्व व्यय, जिसमें	337581.38	456089.06	379978.06	83.31	16.83
11.	ब्याज भुगतान	42875.56	45987.46	43007.98	93.52	1.91
12.	पूँजीगत व्यय	71442.55	123919.85	93028.39	75.07	4.12
13.	ऋण और अग्रिम का संवितरण	1613.36	2946.78	10208.63	346.43	0.45
14.	आकस्मिकता निधि में विनियोग	600	0	0	-	0.00
15.	कुल व्यय (10+12+13+14)	411237.29	582955.69	483215.08	82.89	21.40
16.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-10)	33430.06	43123.65	37263.44	86.41	1.65
17.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4+5+6-15)	(-)39286.42	(-)81177.98	(-)64636.26	79.62	2.86
18.	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+) {(4+5+6)-(15-11)}	3589.14	(-)35190.52	(-)21628.28	61.46	0.96

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

* उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्ति-संवितरण), निवल आकस्मिकता निधि, निवल लोक लेखा (प्राप्ति-संवितरण), प्रारम्भिक एवं अन्तिम नकद कोष की निवल राशि

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य का कर राजस्व बजट अनुमानों में किए गए अनुमानों से 6.35 प्रतिशत कम था। राज्य ने वर्ष 2022-23 की अवधि में ₹ 37,263.44 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष दर्ज किया था, जो कि बजट 2022-23 में किए गए अनुमानों की तुलना में 13.59 प्रतिशत कम था। अग्रेतर, वर्ष 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा

₹ 64,636.26 करोड़ था जो राज्य सरकार के बजट अनुमान से 20.38 प्रतिशत कम था और यह जीएसडीपी का 2.86 प्रतिशत था।

1.4.1 सरकार की सम्पत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

शासकीय लेखे, सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को दर्ज करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियां तथा आरक्षित निधियाँ सम्मिलित हैं और सम्पत्तियों में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम और नकद शेष सम्मिलित हैं।

31 मार्च 2022 की तुलना में 31 मार्च 2023 को देनदारियों और परिसम्पत्तियों का सार जैसा कि राज्य के 2022-23 के वित्त लेखे के विवरण-1 में दर्शाया गया है, तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसम्पत्तियां			
विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत	विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2023 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत
संचित निधि							
अ आन्तरिक ऋण	496422.89	533476.54	7.46	अ सकल पूँजीगत परिव्यय	705544.77	798573.16	13.19
ब भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	27261.33*	34364.15*	26.05	ब ऋण और अग्रिम	27880.79	36752.10	31.82
आकस्मिकता निधि							
आकस्मिकता निधि (कार्पस)	1200.00	1200.00	0.0	आकस्मिकता निधि (गैर-प्रतिपूर्ति)	600.00**	0.06	-99.99
लोक लेखा							
अ लघु बचत, भविष्य निधि आदि	59314.53	59727.44	0.70	अ अग्रिम	58.58	58.58	0.00
ब निक्षेप	24037.36	27636.11	14.97	ब प्रेषण	103.99	0	-100
स आरक्षित निधि	8920.20	12611.99	41.39	स उचन्त एवं विविध कोष	1750.95	1716.13	-1.99
द प्रेषण	0.00	952.62	952.62	नकद कोष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)	44533.16	32848.19	-26.24
य व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	163315.93	199979.37	22.45	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य	0.00	0.00	0.00
योग	780472.24	869948.22	11.46	योग	780472.24	869948.22	11.46

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23

* इसमें जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष अवधि 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 में (₹ 8,139.40 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण की प्राप्ति सम्मिलित है, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

** यह वर्ष 2021-22 के दौरान निधि के कार्पस को बढ़ाने के लिए आकस्मिकता निधि में स्थानान्तरित किया गया है।

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत देयताएं हैं। वित्त लेखे का विवरण-6 राज्य की कुल दायित्वों को दर्शाता है। 31 मार्च 2023 तक राज्य की कुल देयताएं ₹ 6,62,316.24 करोड़ हो गईं, जिसमें राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण (₹ 5,33,476.54 करोड़), भारत सरकार से ऋण और अग्रिम (₹ 34,364.15 करोड़) और अन्य लोक लेखा दायित्व (₹ 94,475.55 करोड़) सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2022 तक कुल दायित्व ₹ 6,12,956.33 करोड़ से (₹ 49,359.91 करोड़) की वृद्धि में विगत वर्ष से आन्तरिक ऋण में 7.46 प्रतिशत (₹ 37,053.65 करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम 26.05 प्रतिशत (₹ 7,102.82 करोड़) की निवल वृद्धि मुख्य कारण थी। राज्य सरकार के ऋण प्रबन्धन का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय II में दिया गया है।

1.5 राजकोषीय अवशेष : घाटे और सकल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 को राजस्व घाटे को समाप्त करने, राजकोषीय घाटे को कम करने, बेहतर ऋण प्रबन्धन की स्थापना, राज्य सरकार के वित्तीय संचालन में पारदर्शिता में सुधार लाने हेतु तथा एक मध्यम अवधि के राजकोषीय ढाँचे का प्रयोग करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया। इस सन्दर्भ में यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में प्रावधानित प्रमुख वित्तीय संकेतकों के सापेक्ष 2018-23 की अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4 : यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	28250	67560	(-) 2367	33430	37263
		✓	✓	X	✓	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के	2018-19 तथा 2019-20 में अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत, 2020-21 के	(-) 35203	11083	(-) 54622	(-) 39286	(-) 64636
		(-) 2.22	0.65	(-) 3.32	(-) 1.99	(-) 2.86
		✓	✓	✓	✓	✓

मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि				
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
प्रतिशत के रूप में)	लिए पाँच प्रतिशत और 2021-22 के लिए चार प्रतिशत और 2022-23 के लिए 3.5 प्रतिशत से अधिक नहीं					
कुल बकाया ऋण* का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2018-19 के दौरान 30.50 प्रतिशत और 2019-20 के दौरान 30.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	32.75	29.55	33.97	30.33	28.71
		X	✓	वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टाक का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।		

स्रोत: राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित देयताओं के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैक-टू-बैक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका 1.4 में दर्शाया गया है, 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान राजकोषीय घाटे और जीएसडीपी का अनुपात यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम में निर्धारित लक्ष्यों के अन्दर था। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि राज्यों के वित्तीय रोडमैप के सम्बन्ध में पन्द्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होने के बाद जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टाक के लक्ष्य तय करने की कार्यवाही की जाएगी। यद्यपि, जीएसडीपी के लिए कुल बकाया ऋण का अनुपात (28.71 प्रतिशत) वर्ष 2022-23 के लिए सांकेतिक ऋण सूचक के रूप में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सीमा (जीएसडीपी का 40.50 प्रतिशत) के अन्दर था।

1.5.1 मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी)

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी, निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थिति: एमटीएफआरपी में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक

वर्ष 2022-23 के वास्तविक आँकड़ों के साथ राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2022 में अनुमानित राजकोषीय मापदण्डों के लक्ष्यों की तुलना तालिका 1.5 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.5: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2022-23 के वास्तविक अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय घटक	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2022-23)	भिन्नता (प्रतिशत में)
1	स्वकर राजस्व	220655	174087	-21.10
2	करेतर राजस्व	23406	13489	-42.37
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	146499	169745	15.87
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	108652	59920	-44.85
5	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	499213	417241	-16.42
6	राजस्व व्यय	456089	379978	-16.69
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	43124	37263	-13.59
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)81178	(-)64636	-20.38
9	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)35191	(-)21628	-38.54
10	ऋण स्टाक-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	32.5	28.71*	-11.66
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) ³	17.08	14.33	-16.10

स्रोत: वित्त लेख 2022-23 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

*जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित देयताओं के प्रतिशत की गणना, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।

जैसा कि तालिका 1.5 में वर्णित है, 2022-23 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 43,124 करोड़ के राजस्व अधिशेष के अनुमान के सापेक्ष राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 37,263 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया, जो मुख्य रूप से एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 81,972 करोड़ (16.42 प्रतिशत) की कमी के कारण था, जो एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में स्वकर राजस्व (₹ 46,568 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 9,917 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 48,732 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण था। यद्यपि, एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में केन्द्रीय करों/ शुल्कों में ₹ 23,246 करोड़ की वृद्धि हुई थी। आगे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्वकर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 24,123 करोड़) के मद में थी, इसके बाद राज्य आबकारी शुल्क (₹ 7,900 करोड़), स्टाम्प और निबन्धन शुल्क (₹ 4,848 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,234 करोड़) तथा वाहनों पर कर (₹ 1,828 करोड़) कमी के कारण थे।


³ एमटीएफआरपी 2022 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के लिए क्रमशः ₹ 17,49,469 करोड़ तथा ₹ 20,48,234 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।

राजस्व व्यय में एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष (₹ 76,111 करोड़) कमी, सामान्य सेवाओं (₹ 32,982 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 30,190 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 12,938 करोड़) क्षेत्रों के अन्तर्गत कम व्यय के कारण थी। प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2018-23 की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का रुझान विश्लेषण यथा-घाटे के मानक (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष), जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का अनुपात तथा जीएसडीपी के सापेक्ष राजकोषीय देनदारियों को निम्नांकित चार्ट 1.5, 1.6 एवं 1.7 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.5: अधिशेष/घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के करेतर राजस्व में, बिना किसी वास्तविक रोकड़ प्राप्ति के, अन्तरण के कारण था।

चार्ट 1.6: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

चाई 1.7: जीएसडीपी तथल रलककुषीय देनदलरियों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे एवं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

* जीएसडीपी के सापेक्ष सकल लम्बित देयताओं के प्रतिशत की गणना, जीएसडी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष 2020-21 में (₹ 6,007 करोड़) तथा 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के बैंक-टू-बैंक ऋण, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को छोड़कर की गयी है।

राज्य की सकल लम्बित देयताएं 2018-19 से 2022-23 की अवधि में लगातार बढ़ी हैं, 2019-20 को छोड़कर जब निक्षेप निधि से ₹ 71,180 करोड़ को करेतर राजस्व में अन्तरण के कारण लोक लेखे की देयता कम हो गई थी। आन्तरिक ऋण वर्ष 2018-19 में ₹ 3,53,190 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 5,33,477 करोड़ हो गया। यद्यपि, 2022-23 की अवधि में राज्य की लम्बित राजकोषीय देनदारियाँ विगत वर्ष की तुलना में ₹ 49,360 करोड़ (8.05 प्रतिशत) बढ़ गईं। जीएसडीपी के सापेक्ष सकल ऋण के प्रतिशत में 2020-21 (33.97 प्रतिशत) से 2022-23 (28.71 प्रतिशत) की अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई।

1.6 लेखापरीक्षा में जाँचोपरान्त घाटा और सकल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आंकलन करने में घाटा तथा ऋण की स्थिति के दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा केंद्र सरकार, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के माध्यम से अग्रेतर किसी भी वित्तीय सहायता की पेशकश करते समय भी गम्भीर रूप से देखा जाता है। राज्य के वित्त की सही स्थिति को दर्शाने के लिए, राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय में वर्गीकरण एवं अतिरिक्त बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा कि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया, का विवरण निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त-घाटा/अधिशेष

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा राज्य के लिए गणना के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों के कारण प्रभावित होता है, जैसे कि राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण और इसके विपरीत, ब्याज को ब्याज युक्त आरक्षित निधि में जमा नहीं किया जाना आदि, जिन पर प्रतिवेदन के अनुवर्ती अध्यायों में चर्चा की गई है। वास्तविक घाटे/अधिशेष के आँकड़ों पर पहुँचने के लिए राजस्व व्यय/पूँजीगत परिव्यय के गलत वर्गीकरण और/या ऐसे किसी भी गलत वर्गीकरण के प्रभाव को सम्मिलित करने की आवश्यकता है और उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव का समाधान करने और उचित रूप से सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2022-23 की अवधि में राज्य के राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे को क्रमशः ₹ 3,356.11 करोड़ अधिक और ₹ 3,326.58 करोड़ कम प्रदर्शित किया गया है, जिसे तालिका 1.6 में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव के परिणाम को तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जाँच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान (प्रस्तर 2.5.2.1 में सन्दर्भित)	428.48	-	-	428.48
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में देय ब्याज का न जमा करना (प्रस्तर 2.5.2.3 में सन्दर्भित)	266.56	-	-	266.56
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि में ब्याज जमा नहीं किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.6 में सन्दर्भित)	37.02			37.02
राजस्व से पूँजीगत और इसके विपरीत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (प्रस्तर 3.2.2. एवं 3.4.2.4 में सन्दर्भित)	29.53	-	-	-
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की शेष राशि पर ब्याज जमा नहीं किया जाना (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	30.75	-	-	30.75
प्रत्याभूति विमोचन निधि में कम अंशदान किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.5 में सन्दर्भित)	1742.18			1742.18
केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि में कम अंशदान किया जाना (प्रस्तर 2.5.2.7 में सन्दर्भित)	658.75			658.75
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम अन्तरण (प्रस्तर 2.5.3.1 में सन्दर्भित)	7.23			7.23

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि में निधि का अन्तरण न किया जाना (प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)	155.61			155.61
निवल प्रभाव	₹ 3356.11 करोड़ (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)		₹ 3326.58 करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)	

स्रोत: वित्त लेखा 2022-23 और लेखा परीक्षा विश्लेषण

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति/ अतिरेक	वास्तविक/लेखा परीक्षा जाँच के उपरान्त
1	2	3	4	5 = 3-4
1	राजस्व अधिशेष	37263.44	3356.11	33907.33
2	राजकोषीय घाटा	64636.26	(-)3326.58	67962.84

स्रोत: लेखापरीक्षा विश्लेषण

1.7 लेखापरीक्षा उपरान्त—सकल लोक ऋण

ऋण के सामान्य घटकों के अतिरिक्त, यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से उधार आदि, 'कुल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर बजट उधार भी सम्मिलित है। गैर-बजट उधार या गैर-बजट वित्तपोषण आमतौर पर किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को परिलक्षित करता है, जो अनुदान/विनियोग की माँग के लिए उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में परिलक्षित नहीं होते हैं और इसलिए विधायिका के नियन्त्रण से बाहर रहते हैं। इन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार उधार के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। यद्यपि, सरकार को अपने बजट से कर्ज चुकाना/प्रतिपूर्ति करना होगा।

राज्य सरकार, इस तरह के ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद राज्य सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उद्यमों/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से बजट के इतर ऋण लेकर निर्धारित शुद्ध उधार सीमा की उपेक्षा कर सकती है। बजट में दर्शाये बिना इस तरह की देनदारियों का निर्माण, पारदर्शिता और अन्तर-पीढ़ीगत सहभागिता, दोनों पर प्रश्न उठाता है। इस तरह के अतिरिक्त-बजट उधार बजट प्रपत्रों या लेखों में प्रकटीकरण कथनों में नहीं लिए जाते हैं और न ही इन्हें विधायी अनुमोदन प्राप्त होता है।

लेखापरीक्षा की जाँच से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने गैर बजट ऋण की सहायता ली, जिस पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.1 में विस्तार से चर्चा की गई है। 31 मार्च 2023 तक, ₹ 24,314.36 करोड़ का गैर-बजट ऋण बकाया था, जिसका राज्य के समग्र ऋण स्टाक पर प्रभाव है, जैसा कि तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8 : 31 मार्च 2023 को अवशेष ऋण/दायित्व के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्त लेखे 2022-23 के अनुसार ऋण तथा अन्य देयताएं	धनराशि
अन्य देयताएं (अ)	533476.54
ब्याज सहित बाजार ऋण	447467.50
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	50638.47
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	35248.39
अन्य ऋण	122.18
भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम (ब)	34364.15
अर्थोपाय अग्रिम	1.43
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	9.94
संसाधनों में अन्तर की प्रतिपूर्ति हेतु ऋण	14146.94
ब्लॉक ऋण	877.00
विशेष सहायता	1134.62
अन्य ऋण	18194.22
लोक लेखे पर देयताएं (स)	94475.55
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आदि	59727.44
आरक्षित निधियाँ	7111.99
जमा	18867.27
जमा, जिनका प्रभाजन उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल के मध्य होना है	8768.85
योग (अ+ब+स)	662316.24
गैर बजटीय ऋण	
वर्ष 2022-23 में गैर बजटीय ऋण	3488.00
दिनांक 31.03.2023 को गैर बजटीय ऋण	24314.36
महायोग	686630.60

स्रोत: वित्त लेखे 2022-23 एवं वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत्त सूचनाएं

इस प्रकार, गैर-बजटीय ऋण को सम्मिलित करते हुए 31 मार्च 2023 को राज्य का सकल ऋण/देयता वित्त लेखे में अंकित ₹ 6,62,316.24 करोड़ के सापेक्ष ₹ 6,86,630.60 करोड़ थी। तथापि, राज्य का बकाया ऋण तथा देयताएं, वर्ष 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में प्राप्त ऋण जिसके लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है को घटाकर, ₹ 6,72,483.66 करोड़ था। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं, गैर-बजटीय ऋण को सम्मिलित करते हुए किन्तु जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के सापेक्ष बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़ते हुए 29.79 प्रतिशत थी।